

बीरबल पुत्र घीसाराम जाति जाट निवासी ग्राम बावड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर

अपीलान्त

बनाम

नायब तहसीलदार खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 15.09.2016 न्यायालय नायब
तहसीलदार खण्डेला मु.न. 14 / 2016 प्रकरण अनुवानी
सरकार बनाम बीरबल

अधिकाः अपीलांत श्री बनवारीलाल बरवड



निर्णय

दिनांक:-29.12.2017

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि ग्राम बावड़ी तहसील खण्डेला के हल्का पटवारी ने दिनांक 24.06.2016 को तहसीलदार खण्डेला के समक्ष रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलांत ने ग्राम बावड़ी के खसरा नम्बर 1494 रकबा 0.04 है० किस्म गै.मु. रास्ता पर जुताई करके कब्जा कर लिया है। अप्रार्थी को पूर्व से मौके पर से बेदखल किया जा चुका था, परन्तु उसके उपरांत भी अप्रार्थी द्वारा पुनः जुताई करके अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने दिनांक 15.07.2016 को धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर दिनांक 15.09.2016 को बिना किसी जांच व बिना साक्ष्य सबूत के चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित कर अपीलांत को धारा 91(2) एल आर एक्ट के तहत तीन माह का साधारण कारावास एवं लगान का 50 गुणा शास्ती लगाने से दण्डित कर दिया। उक्त विवादित अराजिजात की भूमि पर अपीलांत ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है तथा अतिक्रमण नहीं है, बल्कि वह अपनी स्वयं की भूमि पर स्वामित्वधारी व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांत को अपना सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई मौका नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला ने पटवारी रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलांत का अतिक्रमण मानकर तीन माह के साधारण कारावास की सजा का निर्णय पारित कर दिया परन्तु योग्य न्यायालय ने न तो मौके पर जाकर मौके की वास्तविक स्थिति की जांच की एवं ना ही अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय को अपास्त किया जावे।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ता अपीलांत को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांत ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांत का वाके ग्राम बावड़ी की भूमि खसरा नम्बर 1494 पर पूर्व किया गया अतिक्रमण मैंने हटा दिया है। तथा भविष्य में इस प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करूंगा। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर अपीलांत गै.मु. रास्ते की भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदि है। अधिवक्ता अपीलांत द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार अपीलांत वाके ग्राम बावड़ी की भूमि खसरा नम्बर 1494 के किसी भी भू-भाग पर अतिक्रमण नहीं करने के सम्बंध में प्रस्तुत किया है। तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 29.12.2017 के अनुसार मौके पर से उक्त अतिक्रमण हटा दिया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित आदेश में सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जय प्रकाश)

अति० जिला कलक्टर, सीकर
अति० जिला कलक्टर, सीकर



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official